

प्रेस - विज्ञप्ति

उ०प्र० शासन पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-6/2018/190/64-2-2018-1(68)/2006 दिनांक 27.02.2018 द्वारा पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए संचालित 'ओ' लेवल एवं सी०सी०सी० कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना को गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से ऑनलाइन संचालित है।

भारत सरकार की अधिकृत संस्था "निलिट" से मान्यता प्राप्त जनपद स्तर पर कार्यरत 'ओ' लेवल/सी०सी०सी० कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु इच्छुक नवीन एवं पुरानी संस्थाओं द्वारा विभागीय वेबसाइट <http://backwardwelfare.up.nic.in> पर दिये गये लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 15.06.2019 से 20.06.2019 तक किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के उपरान्त आवेदन की प्रति का प्रिंट आउट प्राप्त कर एवं मान्यता तथा परीक्षाफल/सर्टीफिकेट से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों व आधारभूत ढाँचें का विवरण अपलोड करने के साथ दिनांक 22 जून, 2019 सांय 5:00 बजे के पूर्व समस्त अभिलेखों की हार्डकॉपी निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण उ०प्र० (10 वां तल इंदिरा भवन अशोक मार्क उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराने के उपरान्त आवेदन पत्र पूर्ण माना जायेगा, तथा आवेदन पत्र मान्य किया जायेगा। अभिलेखीय सत्यापन तथा संस्था की आधारभूत संरचनाओं का भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु संस्थाओं का चयन किया जायेगा। विस्तृत दिशा-निर्देश/समय सारिणी उक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गई है।

६०

(शैलेन्द्र कुमार गौतम)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
रामपुर।

कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रामपुर।

पत्रांक
प्रतिलिपि

119

/पि०व०क०/प्रेस विज्ञप्ति/2019-20/ओ-लेवल एवं सी०सी०सी०/ दिनांक 13 जून, 2019
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी, महोदय रामपुर।
- 2- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, महोदय रामपुर।
- 4- उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।
- 5- सहायक सूचना निदेशक, रामपुर को 10 प्रतियाँ इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति समस्त हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू समाचार पत्रों में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 6- सम्पादक दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान रामपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त प्रेस विज्ञप्ति को जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 7- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन०आई०सी०), रामपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को जनपदीय वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 8- जनपद रामपुर में संचालित भारत सरकार की अधिकृत संस्था निलिट से मान्यता प्राप्त संस्थाओं को इस आशय से प्रेषित कि विभागीय वेबसाइट <http://backwardwelfare.up.nic.in> पर दिनांक 15.06.2018 से 20.06.2018 तक संस्था का पंजीकरण निर्धारित तिथि में करना सुनिश्चित करें।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
रामपुर।